<u>न्यायालय चतुर्थ अपर जिला जज, बहराइच।</u>

<u>आर०एम०सी० नं०–२२/७०/१७</u>

<u>आनन्द सिंह –––बनाम–––जात जायदाद</u>

CNR No-UPBH010041652017

<u>०१.०९.२०२१</u>

पत्रावली पेश हुयी। याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। संशोधन प्रार्थनापत्र अ–२२ पर सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र अ–२२ के माध्यम से अपीलार्थी आनन्द सिंह की ओर से यह कहा गया है कि वाद के लम्बन के दौरान इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक का नाम भारत सरकार के आदेशानुसार आर्यावर्त बैंक हो गया है, इन परिस्थितियों में प्रभावी अनुतोष पाने के लिये याचिका में संशोधन की आवश्यकता है। प्रार्थना की गयी है कि पिटीशन में जहाँ–जहाँ "इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक" लिखा हुआ है उसके आगे इबारत "वर्तमान आर्यव्रत बैंक" लिखने की अनुमति प्रदान की जाये। समर्थन में शपथ पत्र अ–२३ दाखिल किया गया है।

चूंकि इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक का नाम भारत सरकार के आदेशानुसार आर्यावर्त बैंक हो जाने का कथन किया गया है तथा इस तथ्य का समर्थन शपथ पत्र के माध्यम से किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के दृष्टिगत संशोधन की अनुमति दिये जाने से प्रस्तुत याचिका के निस्तारण में मदद मिलेगी। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र अ–२२ स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से अपेक्षित संशोधन अविलम्ब किया जाये। पत्रावली दिनाँक ०३.०९.२०२१ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

(मनोज कुमार मिश्रा–II)
चतुर्थ अपर जिला जज,
बहराइच।
(J.O.Code-01710)